अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उप पंजियक, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
13/2017
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपपंजियक श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उप पंजियक श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. बीएलओ द्वारा चुनाव के दौरान मुख्यालय छोडने से पूर्व जिस निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेनी होती है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. सुभाष गोयल बीएलओ द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोडने की अनुमति आपके कार्यालय से प्राप्त की है इस बाबत सूचना व अनुमति प्रदान की है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उप पंजियक,श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 228 दिनांक 27.02.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1628 दिनांक 29.12.2016 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

उप पंजियक, श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1628 दिनांक 29.12.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

> उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय पत्र कमांक 228 दिनांक 04.03.2016 द्वारा पूर्व में उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बीएलओ द्वारा अवकाश व मुख्यालय छोडने की अनुमति नियमानुसार संबधित निर्वाचन अधिकारी से ही ली जा सकती है।

उप पंजियक श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है। अपीलार्थी ने आगे कथन किया है कि उसे लोक सूचना अधिकारी का उक्त पत्र प्राप्त नही हुआ है, जिसकी प्रति उसे उपलब्ध करवाई जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। उप पंजियक श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर पत्र सं0 1628 दिनांक 29.12.16 की प्रति आदेश प्राप्ति से 7 दिन के अन्दर अपीलार्थी को उपलब्ध करवावें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजियक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर